3.1 लीज़ों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5.00 वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. एक हेक्टेअर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रू0 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीज़धारक जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा अर्थात्

वन भूमि का मूल्य(प्रीमियम) = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज़ अवधि

99

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गौशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. लीज़धारक जिनके पास एक नाली (दो सौ वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीज़धारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पॉच प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीज़ों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा :

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पन्थ के श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

(ii) जिन लीज़धारकों द्वारा लीज़ का व्यवसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू० 20 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण रूपया एक प्रति एकड़ वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें :

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज़ पर नहीं दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भांति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज़ पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गों के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर 3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोड़कर विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का तीस अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रन्ट लिया जायेगा :

i) जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

ii) जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

iii) वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज़ पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी।

iv) राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयत्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज़ दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–030/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले :

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन कर वन भूमि का उपयोग लीज़ के मूल प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया है

ऐसे लीज़धारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 साल प्रीमियम मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट [illegible] अतिरिक्त, प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप ली जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.3.3 लीज़ पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अन्य [illegible] सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीजों का नवीनीकरण नहीं किया [illegible] विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा।

3.4 विविध :

3.4.1. लीज़ नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज़ रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्धारित/खोला [illegible] नहीं जायेगा।

4. शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 एवं शासनादेश संख्या-666/14-2-600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
सचिव

संख्या:- 156 /7-1-2005-500(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0कॉम्पलेक्स लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव